राजस्थान आवासन मण्डल

आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत मकान प्राप्ति से विशेष लाभ

- मण्डल द्वारा निर्मित मकान खरीदने का निर्णय लेते ही आप अनावश्यक धन, समय व श्रम के दुरूपयोग से मुक्ति पा लेते हैं, और मकान बनाने के लिये आपको अलग से भूखण्ड खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशानी में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
- मंडल के मकानों पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से आसान ऋण सुविधा उपलब्ध है।
- मण्डल द्वारा निर्मित मकानों का डिजाइन अनुभवी अभियन्ताओं/वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है जिससे मकान में न केवल समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होती है बल्कि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में रहने का लाभ भी प्राप्त होता है।
- मण्डल का मकान खरीदने का अर्थ होगा सही तर्क संगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कालोनी में उद्यान, स्कूल, दुकानें, यातायात सुविधाओं से युक्त साफ स्वस्थ और आकर्षक पर्यावरण का आवास।
- मण्डल बिना लाभ–हानि के सिद्वान्त पर चलता है तथा बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य करता है अतः निर्विवाद रूप से मंडल के मकान सस्ते पड़ते है।

सम्पर्क सूत्र

मुख्य अभियन्ता द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल
जनपथ ज्योति नगर,
जयपुर
फोनः 0141–2740371

उप आवासन आयुक्त वृत्त–तृतीय
राजस्थान आवासन मण्डल
जवाहर लाल नेहरू मार्ग
जवाहर सर्किल, जयपुर
फोनः 0141–2723844

मुख्य संपदा प्रबन्धक
राजस्थान आवासन मण्डल
जनपथ ज्योति नगर
जयपुर
फोनः 0141–2740667

राजस्थान आवासन मण्डल

मण्डल द्वारा निर्मित आवासों के लिये पंजीकरण एवं आवंटन हेतु सामान्य निबंधन एवं शर्ते

इन्दिरा गांधी नगर आवासीय योजना, जगतपुरा, जयपुर के पंजीकृत

आवेदकों हेतु स्ववित्त पोषित योजना

1. राजस्थान आवासन मंडल का गठन राज्य सरकार द्वारा अधिनियम संख्या 4/1970 के अन्तर्गत सन् 1970 में राज्य में मकानों की कमी पूर्ति हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए मकान उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है।

2. नई वित्तीय व्यवस्था, नये पंजीकरण नियमों तथा एच.डी.एफ.सी. हुड़को एवं भारतीय जीवन बीमा निगम इत्यादि से व्यक्तिगत ऋण सुविधा का लाभ उठाने के उद्देश्य से मण्डल द्वारा केवल इंदिरा गांधी नगर के पंजीकृत आवेदकों हेतु स्ववित्त पोषित योजना खोली जा रही है।

3. यह स्ववित्त पोषित योजना मण्डल की सामान्य पंजीकरण योजना इन्दिरागांधी नगर, (जगतपुरा) जयपुर के अन्तर्गत पूर्व पंजीकृत आवेदकों के लिए लागू होगी। अतः सामान्यतः यह किराया क्रय पद्धति, नगद भुगतान पद्धति के अतिरिक्त मकानों की लागत के भुगतान की तीसरी पद्धति होगी।

4. स्ववित पोषित आवासीय योजना इन्दिरा गांधी नगर (जगतपुरा) जयपुर के विभिन्न सेक्टरो में प्रस्तावित है।

   जयपुर शहर की आवास समस्या का निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मंडल समय समय पर विभिन्न योजनाऐं जैसे, जवाहर नगर, मालवीय नगर, प्रतापनगर, मानसरोवर आदि की सफलता के बाद स्ववित्त पोषित आवासीय योजना इन्दिरा गांधी नगर (जगतपुरा) जयपुर में प्रारम्भ करने जा रहा है।

   उपरोक्त आवास इन्दिरा गांधी नगर, (जगतपुरा) जयपुर के विभिन्न सेक्टरों में बनाये जायेंगे। यह आवासीय योजना आवासन मण्डल की पूर्व में निर्मित मालवीय नगर आवासीय योजना के समीप स्थित है।

   इस आवासीय योजना की प्रमुख स्थानों से लगभग दूरी निम्न है –

अ.	सिंधी कैम्प बस स्टेण्ड	14 किलोमीटर
ब.	जयपुर रेल्वे स्टेशन	14 किलोमीटर
स.	एयर पोर्ट सर्किल	8 किलोमीटर

   यह स्ववित्त पोषित योजना मण्डल में इन्दिरा गांधी नगर आवासीय योजना जगतपुरा के पूर्व पंजीकृत आवेदकों के लिए लागू होगी। इस योजना के तहत उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग (ब) के लिये बनाये जाने वाले आवास स्वतंत्र (डुप्लेक्स) एवं पूर्ण निर्मित होगें

पंजीकरण राशि का विवरण

क्र. सं.	आय वर्ग	आवास की माप	आवास का निर्मित क्षेत्रफल लगभग	आवास की अनुमानित लागत	पंजीकरण राशि रू0	शेष देय राशि चार किश्तों में
1.	उच्च आय वर्ग	11.25X21.00 मी.	276.40 वर्ग मी.	3100000.00	100000.00	3000000.00
2.	मध्यम आय वर्ग "ब"	8.00X16.00 मी.	156.70 वर्ग मी.	1795000.00	60000.00	1735000.00

नोटः– 1. मध्यम आय वर्ग "ब" के आवेदक उच्च आय वर्ग का विकल्प देते हैं तो पंजीकरण राशि उच्च आय वर्ग की एवं मध्यम आय वर्ग "अ", मध्यम आय वर्ग "ब" का विकल्प देते हैं तो पंजीकरण राशि मध्यम आय वर्ग "ब" की जमा करानी होगी।

2. अ.जा./ ज.जा. के आवेदकों को निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करानी होगी।

3. वर्तमान में सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिक एवं वीरांगनाऐं आवेदकों को निर्धारित पंजीकरण राशि का 1/10 भाग ही जमा कराना होगा।

स्ववित पोषित योजना हेतु उपलब्ध आवासों का विवरण

क्र. स.	आय वर्ग	उपलब्ध आवासों की संख्या	साइज (मी.)	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मी.)	अनुमानित लागत
1.	उच्च आय वर्ग	86	11.25 X 21	276.40	31.00 लाख
2.	मध्यम आय वर्ग "ब"	50	8.00 X 16	156.70	17.95 लाख

नोटः 1. उपलब्ध आवासों की संख्या परिवर्तनीय है।

2. आवंटन पत्र में अंतिम रूप से निकाली गई लागत एवं आरक्षण पत्र में दर्शायी गई अनुमानित लागत में अंतर होने की स्थिति में आंवटन पत्र में मागी गई राशि ही अंतिम रूप से मान्य होगी।

5. आवंटन की शर्तें

5.1 आवासों का आवंटन राजस्थान आवासन मंडल के डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी रेगूलेशन 1970 के अन्तर्गत तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी अधिनियमों व उपनियमों एवं अनुबंधों के अनुसार किया जायेगा।

5.2 इस स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी नगर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को निम्नानुसार वरीयता दी जायेगीः–

क्र.स.	**आवास श्रेणी**	**वरीयता**	**पंजीकृत आवेदक**
1.	उच्च आय वर्ग	प्रथम	उच्च आय वर्ग पूर्ण निर्मित (प्रथम चरण)
		द्वितीय	उच्च आय वर्ग प्लिथ स्तर (प्रथम चरण)
		तृतीय	मध्यम आय वर्ग 'ब' पूर्ण निर्मित (प्रथम चरण)
		चतुर्थ	मध्यम आय वर्ग 'ब' प्लिथं स्तर (प्रथम चरण)
		पंचम	उच्च आय वर्ग पूर्ण निर्मित (द्वितीय चरण)
		षष्ठम	उच्च आय वर्ग (प्लिंथ स्तर) द्वितीय चरण

2.	मध्यम आय वर्ग 'ब'	प्रथम	मध्यम आय वर्ग 'ब' पूर्ण निर्मित (प्रथम चरण)
		द्वितीय	मध्यम आय वर्ग 'ब' प्लिथ स्तर (प्रथम चरण)
		तृतीय	मध्यम आय वर्ग 'अ' (प्रथम चरण)
		चतुर्थ	उच्च आय वर्ग पूर्ण निर्मित (प्रथम चरण)
		पंचम	उच्च आय वर्ग प्लिंथ स्तर (प्रथम चरण)
		षष्ठम	मध्यम आय वर्ग 'ब' पूर्ण निर्मित (द्वितीय चरण)
		सप्तम	मध्यम आय वर्ग "ब" प्लिंथ स्तर (द्वितीय चरण)
		अष्ठम	मध्यम आय वर्ग 'अ' द्वितीय चरण

नोटः– पूर्व पंजीकृत आवेदकों को आयवर्ग का लाभ वरियता क्रमानुसार दिया जायेगा।

5.3 स्ववित्त पोषित योजना में आवेदन करते समय पूर्व पंजीकृत आवेदक अपने वर्तमान आय वर्ग से एक आय वर्ग ऊपर / नीचे का विकल्प दे सकेंगे। सभी आवेदकों को पंजीयन राशि के रूप में पूर्व में जमा राशि के अतिरिक्त सारणी में दर्शाये अनुसार राशि जमा करानी होगी।

5.4 आवासों का आवंटन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर योग्य आवेदकों को लॉटरी द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

5.5 योजना में विभिन्न श्रेणी के आवेदकों को आरक्षण विभिन्न श्रेणियों के लिये उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार निम्नानुसार दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदकों की श्रेणी	आरक्षित कोटा प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	8 प्रतिशत
2.	अनुसूचित जनजाति	6 प्रतिशत
3.	राजस्थान के सांसद/विधायक तथा अधिस्वीकृत पत्रकार	2.5 प्रतिशत
4.	भूतपूर्व सैनिक एवं वीरांगनाएं	3 प्रतिशत
5.	स्वतंत्रता सेनानी	1 प्रतिशत
6.	(अ) विकलांग नेत्रहीन	1 प्रतिशत
	(ब) विकलांग मूकबधीर	1 प्रतिशत
	(स) विकलांग शारीरिक	1 प्रतिशत
7.	आवासन बोर्ड कर्मचारी	3 प्रतिशत
8.	मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी/कर्मचारी	1 प्रतिशत
8.	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक	0.75 प्रतिशत
9.	एशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	0.50 प्रतिशत

नोट
1. **यदि आरक्षित वर्गानुसार कोटा विशेष में आवेदन कम प्राप्त होते है तो आवास दूसरे आरक्षित वर्ग में अंतरित कर दिये जावेगे।**
2. **स्ववित्त पोषित योजना हेतु वरीयता का निर्धारण पूर्व पंजीकृत आवेदको को किराया क्रय पद्धति एवं नकद भुगतान पद्धति के मण्डल में निर्धारित अनुपात अनुसार किया जायेगा।**

6. लागत का भुगतानः

6.1 इस योजना के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग में पंजीकरण करवाने वालों से आवास की अनुमानित लागत चार माही चार किश्तों में वसूल की जावेगी। आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि से 1, 5, 9 एवं 13 माह में जमा करानी होगी।

6.2 किश्तें जमा कराने की अवधि आवास निर्माण की प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए कम भी की जा सकती है।

6.3 स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण कार्य "डिपोजिट वर्क" की तरह ही होगा। अतः आवेदकों द्वारा जमा कराई गई किश्तों पर मण्डल द्वारा ना तो कोई ब्याज दिया जायेगा और न ही मण्डल आवेदकों से ब्याज लेगा।

6.4 आरक्षण पत्र के अनुसार वसूल की गई राशि से अधिक राशि निर्माण कार्य पर व्यय होने पर मण्डल द्वारा इस राशि की व्यवस्था विभिन्न स्त्रोतों से ऋण लेकर की जायेगी, अतः उस अतिरिक्त राशि पर आवेदकों से मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर से ब्याज वसूल किया जायेगा।

6.5 स्ववित्त पोषित योजना में पंजीकरण कराने वाले आवेदकों को उनकी सम्पूर्ण पंजीकरण राशि पर पंजीकरण कराने की तिथि से आरक्षण पत्र जारी की तिथि तक का ब्याज वर्तमान में नियमानुसार दिया जायेगा। लेकिन आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् उन्हें कोई ब्याज देय नहीं होगा।

6.6 यदि आवासन मण्डल आरक्षण पत्र जारी होने से 18 माह में आवास आवंटन नहीं करता है तो इस अवधि के बाद 6 प्रतिशत ब्याज देय होगा।

6.7 आवास का कब्जा सौंपने से पूर्व आवास की अंतिम रूप से निर्धारित की गई लागत पर शेष राशि आवंटी को जमा करानी होगी, जिसके लिए आवंटन/कब्जा पत्र मण्डल द्वारा जारी किया जायेगा। आवंटन पत्र में आवेदक द्वारा पूर्व पंजीकरण के पेटे जमा करायी गयी राशि मय ब्याज के समायोजित की जायेगी।

6.8 आवंटन पत्र में अंतिम रूप से निकाली गई लागत एवं आरक्षण पत्र में बताई गई अनुमानित लागत में अंतर होने की स्थिति में आंवटन पत्र में मांगी गई राशि ही मान्य होगी।

6.9 राजस्थान आवासन मंडल सम्पत्ति निस्तारण विनिमय 1970 के प्रावधान के अनुसार पति अथवा पत्नि में से कोई एक आवेदक ही आवास आवंटन की पात्रता रखेगा। दोनों के आवेदन की जानकारी होने पर एक आवास/पंजीकरण निरस्त किये जाने योग्य होगा।

6.10 क. लीज राशि ब्याज व अन्य देय राशियाँ बोर्ड नियमानुसार आवंटन पत्र जारी होने के समय अलग से ली जावेगी। कोने के आवास, अतिरिक्त भूमि का शुल्क देय होगा।

ख. अन्य खर्चे : अन्य विविध खर्चे जो मण्डल समय–समय पर निर्धारित करे।

6.11 आवंटन पत्र की मांग राशि जमा नहीं कराने पर पंजीकरण राशि का 20 प्रतिशत कटौती कर बिना ब्याज के राशि लौटादी जायेगी।

6.12 मंडल इस प्रस्तावित योजना में आवासों के टाइप डिजाइन में परिवर्तन/परिवर्धन कर सकता है। परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर मंडल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, तथा इस विषय में आवंटी का कोई वाद स्वीकार्य नहीं होगा।

6.13 किसी नुकसान होने या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से निम्नांकित फिटिंग/फिक्चर्स आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा दिये जाने की वास्तविक दिनांक से 1 माह के भीतर पूर्ण कर दिया जावेगाः—

ए. विद्युत फिटिंग/फिक्सचर

ब. सेनेटरी फिटिंग

स. अंतिम पुताई, यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।

7. अन्य शर्तेः

7.1 पंजीकरण, आरक्षण, आवंटन बोर्ड द्वारा बनाये गये नियमों/ विनियमों के तहत होगा। मण्डल अपने नियमों, विनियमों में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा और आवेदकों पर लागू होगा।

7.2 यदि आवेदक आरक्षण पत्र के अनुसार मांगी गई किश्तों को देने में चूक करता है तो 3 माह के पश्चात उनका स्ववित्त पोषित योजना एवं मूल पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण की बहाली बकाया किश्तों को निर्धारित ब्याज सहित जमा कराने पर मण्डल की अनुमति से नियमानुसार ही हो सकेगी, परन्तु पंजीकरण की बहाली पर उसकी पूर्व की वरीयता नहीं रहेगी और बहाली के दिन की वरीयता दी जायेगी।

7.3 आवेदक, आरक्षण पत्र में बताई गई निश्चित तिथि तक मकान की किश्त जमा करा सकेंगे, इसके लिए अलग से पत्र जारी नहीं किया जायेगा। राशि जमा कराये जाने में देरी हो जाने पर नियमानुसार 18 प्रतिशत ब्याज वसूलनीय होगा।

7.4 आवासन मण्डल इस योजना के अन्तर्गत शीघ्रातिशीघ्र मकान देने का विचार रखता है। अतः निर्माण की प्रगति के अनुसार किश्त समय से पहले भी मांगी जा सकती है जिसके लिए मण्डल अलग से पत्र जारी करेगा।

7.5 यदि आवेदन पत्र में किसी भी कमी के कारण फार्म स्वीकार नहीं होता है तो प्रशासनिक शुल्क 5 प्रतिशत उस वर्ग के लिये निर्धारित पंजीकरण राशि में से कटौती कर शेष राशि वापस लौटा दी जायेगी।

7.6 योजना को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।

7.7 आवेदक पता परिवर्तन की सूचना संबंधित अधिकारी, (सम्पदा प्रबंधक) को देगा। आवेदक की गलती से पत्र नहीं मिलता है तो आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

8. महत्वपूर्ण बिन्दु

8.1 आवास आवंटन के पश्चात आवास नम्बर किसी भी स्थिति में नहीं बदले जायेगे।

8.2 इस योजना के आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करा सकेगे।

8.3 कब्जा सौंपे जाने के बाद आवास का रख रखाव स्वयं आवंटी करेगा।

8.4 इस सम्बन्ध में न्यायिक विवाद जयपुर शहर की सीमा के अन्दर होगा।

8. वित्तीय सुविधाएं

8.1 मण्डल की स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मकान प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों को ऋण प्रदान करती है जिसके लिए केन्द्र सरकार, आवासन मण्डल एवं आवेदक के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता किया जाता है।

8.2 एच.डी.एफ.सी. केनफिन होम्स, राष्ट्रीय आवास बैंक, हुड़को, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अधिकृत अन्य संस्थाऐं भी आवासन मण्डल की स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मकान लेने वाले आवेदकों को ऋण प्राप्त कर उसे मण्डल में जमा करा कर स्ववित्त पोषित योजना का लाभ उठा सकता है।

8.3 आवेदक द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से भी इस योजना पर ऋण लिया जा सकता है। अतः आवेदक चाहे तो वहां से भी ऋण प्राप्त कर उसे मण्डल में जमा करा कर स्ववित्त पोषित योजना का लाभ उठा सकता है।

9. सामान्य

9.1 मण्डल के आवास केवल आवासीय प्रयोजन हेतु ही उपयोग में लिये जायेंगे।

9.2 सम्पत्ति निपटारा – विनिमय – 1970 के विनियम संख्या 17 एवं 18 में अभिकथित सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को स्वयं सम्पत्ति पर समस्त करों के मय शेष बकायों का भुगतान करना होगा, जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर पालिका कर, विकास कर इत्यादि।

9.3 आवेदन पत्र पुस्तिका राजस्थान आवासन मंडल के निम्नलिखित कार्यालयों में रूपयें 200/– का बैंक ड्राफ्ट / पे–आर्डर/ नकद जो कि राजस्थान आवासन मण्डल (Rajasthan Housing Board) के पक्ष में जयपुर स्थित किसी भी बैंक में देय हो, देकर प्राप्त की जा सकती है।

9.4 पूर्णतया भरे हुए आवेदन फार्म उप आवासन आयुक्त वृत तृतीय के कार्यालय में निर्धारित समय में किसी भी कार्य दिवस में अंतिम तिथि तक सांय 5.00 बजे तक जमा कराये जा सकेंगे।

9.5 पंजीकरण की राशि बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक द्वारा जमा की जायेगी। बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक का पूर्ण विवरण चालान में निर्धारित स्थान पर अंकित करना होगा। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक राजस्थान आवासन मण्डल के पक्ष में जयपुर शहर पर देय होगा

आवेदन फार्म प्राप्त/जमा कराने हेतु अधिकृत कार्यालय का नाम एवं पता

उप आवासन आयुक्त वृत–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जवाहर सर्किल, जयपुर

10. इस आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित नियम एवं शर्तो के अतिरिक्त इस पंजीकरण पर सम्पति निस्तारण विनियम 1970 लागू होगा।

कार्यालय का नाम पता एवं दूरभाष नम्बर

कार्यालय : उप–आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मंण्डल वृत–तृतीय
जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
जवाहर सर्किल, जयपुर।
फोनः 0141–2723844

ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दुः–

(क) पंजीकरण की तयशुदा राशि बैंक ड्राफ्ट जो कि राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के पक्ष में जयपुर स्थित किसी भी बैंक में देय है, जमा करा दिया गया है, बैंक ड्राफ्ट तथा चालान की प्रतियां आवेदन–पत्र के साथ जमा करा दी गई हैं।

(ख) आवेदन–पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं एवं सत्यापित करा दिया गया है।

(ग) आवेदन–पत्र पर लगाये गये फोटो राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक के द्वारा सत्यापित करा ली गई है।

(घ) तत्संबंधी प्रमाण–पत्र शपथ–पत्र संलग्न कर दिया गया है।

(ड़) कोई अन्य सूचना जो प्रपत्र में मांगी गई है, भर दी गयी है।

GENERAL SPECIFICATIONS

General specification adopted for the houses are as under:

1. Foundation with stone masonry in cement sand mortar 1:6.
2. RCC work in slab, plinth/lintel band .
3. Brick masonry in super structure in cement sand mortar 1:6.
4. Plaster in cement sand mortar 1:6.
5. Tiles/ Marble flooring.
6. Mat finished glazed tiles in toilet .
7. Wooden Windows and Chowkhats at front.
8. Pressed steel/EZ-7 Door and Window frames.
9. Flush door shutters with steel fittings.
10. Wiremesh door shutters.
11. Interior distemper/paint and Exterior water proof cement paint.
12. POP finish with cornice and beading.
13. PVC water tanks, CP Toilet fittings, Stainless Steel Sink and Vitreous China WC/Wash basin
14. Steel railing and compound wall gate.
15. Kitchen table granite top.
16. Concealed PVC conduits with stranded (flexible) copper wire, MCBs.

नोटेरी/ राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित

समस्त आवेदकों के लिए

शपथ-पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ....
.... निवासी .... आयु ....
सशपथ बयान करता हूँ/करती हूँः-

1. कि मेरे पास स्वयं या पति व आश्रितों के नाम से जयपुर शहर में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आंवटित कोई भी मकान किसी भी वर्ग या श्रेणी का नहीं है।
2. कि मुझ पर आश्रित किसी भी वयस्क अथवा अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/ दत्तक पुत्री के नाम आवासन मण्डल द्वारा आवंटित कोई भी मकान किसी भी वर्ग या श्रेणी का जयपुर शहर में नहीं है।
3. कि मुझे, मेरे पति/पत्नि या मुझ पर आश्रित वयस्क अथवा अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/ दत्तक पुत्री को स्थानीय निकाय जैसे नगर विकास न्यास, नगर पालिका अथवा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड लीज होल्ड/फ्री होल्ड पर जयपुर शहर में आवंटित नहीं हुआ है।

शपथ ग्रहिता

सत्य निष्ठा

मैं.................................. पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ....
.... निवासी .... आयु ....
.... सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 4 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये है वह मेरी/निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है। मैने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

शपथ पत्र 10/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यापालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

इंदिरा गांधी नगर (जगतपुरा), जयपुर

स्ववित्त पोषित योजना-2008 (भाग-1)

कार्यक्रम

1. पूर्व पंजीकृत आवेदको हेतु आवेदन-पत्र बिक्री प्रारम्भ की तिथि	26.04.2008
2. पूर्व पंजीकृत आवेदकों हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	15.05.2008

सम्पर्क सूत्र

उप आवासन आयुक्त, वृत्त तृतीय
इंदिरा गांधी नगर (जगतपुरा) जयपुर
दूरभाषः 0141-2723844